



CCL

Fuelling Sustainable Growth

CENTRAL COALFIELDS LTD.

सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम / कोल इंडिया लि. की एक अनुषंगी कंपनी)

पंजीकृत कार्यालय : दरभंगा हाउस, रॉंची 834 001 (झारखण्ड)

CIN : U10200JH1956GOI000581

अधिकारी स्थापना विभाग / Executive Establishment Deptt

फ़ोन : (0651) 2360695 / Extn. 5144, ईमेल : gmee.ccl@coalindia.in

वेबसाइट : www.centralcoalfields.in

No. महाप्रबंधक(अधि-स्था)/प्रोन्नति/पर्यावरण./ई5-ई-6/2025/ 5024-44 दिनांक: 7 /04/2025

कार्यालय आदेश

सी.आई.एल., कोलकाता द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश संख्या CIL/C-5A(CC)Prom_E5-E6_Excvt/2024/B-181 दिनांक:-26/02/2025 द्वारा उत्खनन संवर्ग के प्रबन्धक(उत्खनन)/ई5 ग्रेड के निम्नलिखित अधिकारी की पदोन्नति ₹ 90,000-2,40,000/- के वेतनमान में वरीय प्रबंधक (उत्खनन)/ई6 ग्रेड में किया गया एवं उनके नाम के समक्ष उल्लेखित सीआईएल की अनुषंगी कंपनी में स्थांतरण किया गया। एतद्वारा सीसीएल से उन्हे दिनांक 10.04.2025 से विरमित किया जाता है।

Sl.No.	EIS no	Name	Place of Posting	Transferred to
01	90300849	Sri Ajit Kumar Singh	N.K.Area	ECL

श्री अजित कुमार सिंह अपने वर्तमान कार्यस्थल से विरमित होने पर अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईसीएल को रिपोर्ट करेंगे।

पदोन्नति पर, उपरोक्त अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होंगे। स्थानतरित कंपनी में उच्च पद पर प्रभार ग्रहण के उपरांत ही उपर्युक्त अधिकारी की पदोन्नति उस तारीख से प्रभावी होगी।

संबन्धित अधिकारियों को सीआईएल द्वारा आदेश जारी करने की तारीख से साठ(60) दिनों के भीतर प्रोन्नत पद पर पदभार ग्रहण करना है अन्यथा पदभार ग्रहण न करने पर प्रोन्नति आदेश रद्द किया जा सकता है।

कार्यभार ग्रहण करने के उपरांत 15 दिनों में PRIDE भरना संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

यह आदेश सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति से किया जाता है।

निधि 20/04/25
उप-प्रबन्धक (का.-अधि.-स्था°)

वितरण ई ऑफिस द्वारा :

1. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ईसीएल
2. निदेशक (कार्मिक)/ निदेशक (वित्त)/निदेशक (तकनीकी/ संचालन)/ निदेशक (परियोजना एवं योजना), सीसीएल, रांची।
3. सीएमडी के तकनीकी सचिव, सीसीएल, रांची।
4. महाप्रबंधक(का.अधि-स्था)सीआईएल कोलकाता।
5. महाप्रबंधक (उत्खनन) / (सतर्कता) / (ईई) / (एचआरडी) / (प्रणाली) / (वित्त), सीसीएल, रांची।
6. महाप्रबंधक:- नॉर्थ कर्णपूरा क्षेत्र
7. क्षेत्र वित्त प्रबंधक/अमला अधिकारी:- नॉर्थ कर्णपूरा क्षेत्र
8. मुख्य प्रबंधक/ प्रबन्धक (वित्त - ईपीआर) / (स्था.), सीसीएल, रांची।
9. प्रबंधक/ उप-प्रबन्धक (कार्मिक-ईई), सीसीएल, रांची - आवश्यक अद्यतनीकरण हेतु।
10. उप प्रबंधक (वित्त - सीएमपीएफ), सीसीएल, रांची।
11. सहायक प्रबंधक (कार्मिक-ईई), सीसीएल, रांची - कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
12. संबन्धित अधिकारी।
13. व्यक्तिगत संचिका।